| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 28.07.19 पत्रावली पेश हुई। वकील सायल ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि में सायलान का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा गैरसायलान का इस भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। भूमि का मौके पर विभाजन हो रहा है। सायलान अपने हिस्से पर काबिज है तथा प्रतिवादी नं0 2 अपने हिस्से पर काबिज है। गैरसायलान लट्ठ के बल पर सायलान की भूमि को हडपना चाहते है क्योंकि गैरसायलान की खेत सायलान की भूमि के पास है। गैरसायलान सायलान की फसल को जानबूझकर नुकसान पहुचाते है। डोल मेड को फैलाते है। दिनांक 25.02.19 को सायलान अपनी गेंहू की फसल देखभाल करने गये तो गैरसायलान ने धमकी दी की इस फसल को हम काट कर ले जायेगे आगे इस खेत को हम काश्त करेंगे ज्यादा करोगे तो छुआछुत के मुकदमे में फंसा देंगे इसलिए गैरसायलान को पाबंद किया जावे की वह दावे के निर्णय तक भूमि खसरा नं0 16,25,26,29 कुल रकबा 1.46हे0 वाके मौजा में सायलान के हिस्से 2/3 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।<br><br>वकील गैरसायलान ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि का अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। फसल की जबाबदारान को कोई जानकारी नहीं है। गैरसायलान द्वारा कोई डोल मेड नहीं फैलाई गई है। न किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमि जोती है। न ही दिनांक 25.02.19 को किसी प्रकार की कोई धमकी दी। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत पेश किया है खारिज होने योग्य है गैरसायलान से सायलान को कोई असुविधा या हानि होना संभव नहीं है। पूर्व में भी सायलान द्वारा श्रीमान के यहां एक दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें दिनांक 30.01.19 को प्रार्थीगण का टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। ख0नं0 19 से सायलान का कोई वास्ता नहीं है। अतः टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।<br><br>उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 भूमि की खातेदारी सायलान व प्रतिवादी नं0 3 के नाम | |

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | दर्ज है जिससे गैरसायलान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। | |

सायलान व गैरसायलान ने अपने प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र में यही तथ्य अंकित किये है। गैरसायलान ने अपने जबाव में प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 को स्वीकार किया है जिसका तात्पर्य है कि गैरसायलान का इस भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है जबकि सायलान के प्रार्थना पत्र अनुसार गैरसायलान उनके हिस्से की भूमि व उनकी फसल को नुकसान कारित करते है,डोल मेड तोडते है ऐसी स्थिति में प्राइमाफेसी सायलान के केस की पुष्टि होती है। गैरसायलान पड़ोसी काश्तकार है तथा डोल मेड को लेकर विवाद होना संभव है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि सायलान भूमि के खातेदार है तथा गैरसायलान का भूमि से कोई वास्ता नहीं है।दोनो पक्षो में विवाद की स्थिति में आगे भी किसी बात को लेकर झगडा बढना संभव है जिससे सायलान को क्षति कारित होना संभव है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि सायलान द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह सहखातेदारो के विरूद्व नहीं है अपितु सहखातेदारो से भिन्न व्यक्तियों के विरूद्व निषेधाज्ञा चाही है जिनका इस भूमि से कोई वास्ता नही है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 16 रकवा 0.22 हे0, 25 रकवा 0.06हे0,26 रकवा 0.04हे0,29 रकवा 0.44हे0 ग्राम कुसांय तहसील वजीरपुर के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में सायलान के हिस्से 2/3 में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी